

# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 50/2025 बउनवानी ओंकार बनाम तहसीलदार चौथ का बरवाडा  
पुत्र बिलास मीना निवासी सवाई सागर तहसील चौथ का बरवाडा

GCMS No-2025/156

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुकम

9.7.2025

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 26.4.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर “ प्रहलाद सिंह पटवारी ईसरदा ए द्वारा ख0न0 1021 किस्म चरागाह पर कालूराम पुत्र कल्याण मीना नि0सवाई सागर ने अवेद्य रूप से कब्जा/निर्माण करने पर पटवारी द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट एवं रिपोर्ट पर तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना ” तहसीलदार चौथ का बरवाडा से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयवधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: आरटीआई/2025/2153 दिनांक 19.6.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्त द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2025 में चाही गयी सूचना तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक/सू.का.अ./2025/2101 दिनांक 2.6.2025 द्वारा अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत जवाब में अंकित किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं,कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.4.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक 2101 दिनांक 2.6.2025 से अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

( काना राम )  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

